

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम मेघरास तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 18/2016 राजस्व वाद

अनवान

1. रामचन्द्र पिता घीसा तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. राजु पिता घीसा तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. उछबी पुत्री घीसा तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4. भागुती पुत्री घीसा तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
5. अलोल पुत्री घीसा तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
6. पानी पुत्री घीसा तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
7. धन्ना पिता काना तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
8. पन्ना पिता काना तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
9. गोदु पिता काना तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
10. नोसर पुत्री काना तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
11. कंचन पुत्री काना तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
12. बरजी बेवा काना तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादीगण)

बनाम

1. लाली देवी पत्नि प्रहलाद तेली उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. वादीगण संख्या 01, 02, 08 मय अधिवक्ता उपस्थित
2. विपक्षी संख्या 01 लाली देवी तेली स्वयं उपस्थित
3. परोकार सरकार..... विपक्षी क्रम 02

दिनांक– 11.06.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम मेघरास में वादीगण संख्या 01, 02, 08 मय अधिवक्ता व विपक्षी संख्या 01 लाली देवी तेली स्वयं तथा राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेड़ा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 11.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादीगण का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण सहमति से इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम मेघरास पटवार क्षेत्र मेघरास तहसील बनेड़ा स्थित खतौनी संख्या 458 रकबा 01-10 बीघा भूमि का शिविर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है—

1. रामचन्द्र राजु पिता घीसा, उछबी भागुती अलोल पानी पुत्रीयां घीसा 6/7, धन्ना पन्ना गोदु पिता काना, नोसर कंचन पुत्रीयां काना, बरजी बेवा काना 1/7, सा. मेघरास तहसील बनेड़ा खातेदार मु.वि.क भी.अ.क्ष.ग्राम बैंक शाखा बनेड़ा हिस्सा राजु पिता घीसा व धन्ना पन्ना पिता काना तेली का (वादीगण)

(2)


आ0न0	रकबा
901	01-04-02
कुल 01	रकबा 01-04-02 बीघा

2 लाली देवी पत्नि प्रहलाद तेली निवासी मेघरास तहसील बनेडा खातेदार (प्रतिवादी संख्या 01)


आ0न0	रकबा
901/1	00-06-18
कुल 01	रकबा 00-06-18 बीघा

उपरोक्तानुसार भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 11.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम मेघरास में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।


(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।


उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
बनेडा (भीलवाड़ा)